कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था. /2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती सीमा शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली, जिला बून्दी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शहरोड़, अटरू जिला बारां किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3415/2019 सीमा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3415/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करनें और प्रत्यर्थी विभाग को उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसके संबंध में राज्य सररकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) पारित करते हुए 20 दिवस के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थिति एवं विद्यालय के उत्थान हेतु किये गए प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि गुढ़ा बांध जिला बूंदी, राउमावि अलोद, जिला बूंदी, राउमावि देवली अरब, जिला कोटा, राउमावि शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलर्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनकी मांग पर विचार किया जा सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता) 3/12
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सीमा शर्मा/3415/2019 **दिनांक** 23/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बूंदी/बारां।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बूंदी/बारां।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।

Scanned by CamScanner

7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती सीमा शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Scanned by CamScanner